

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन

क्रमांक: एफ.वी.5(1)(विशिष्ट)स्था/अ/प्रशि/डीपीसी/ 111 2-60

जयपुर दिनांक

16/03/21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, जयपुर  
समस्त अतिरिक्त निदेशक  
समस्त संयुक्त निदेशक  
समस्त उपनिदेशक,  
पशुपालन विभाग, राजस्थान


**विषय:- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ट) के पद की वर्ष  
2011-12 से 2017-18 तक की डीपीसी आयोजित करने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है शासन की आज्ञा क्रमांक प.4(3)पपा/2020 दिनांक 10.02.2021 के द्वारा वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक की वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ट) के पद की लम्बित डीपीसी आयोजित की जानी है।

वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ट) के पद की योग्यता रखने वाले कार्मिक जो कि पूर्व में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर चयनित अधिकारियों द्वारा यदि विशिष्ट अनुभाग हेतु विकल्प दिया जाता है तो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) की प्रभावित होने वाली डीपीसी को रिव्यू किये जाने बाबत प्रकरण में निर्देशानुसार वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर चयनित निम्न योग्यताधारी के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ट) के पद हेतु पदोन्नति बाबत विकल्प पत्र मय एमवीएससी डिग्री प्रमाण पत्र की प्रति के निम्न प्रपत्र में आपके अधीनस्थ जिले से प्राप्त कर इकजाई रूप से दिनांक 25-03-2021 तक आवश्यक रूप से [director.ahd@rajasthan.gov.in](mailto:director.ahd@rajasthan.gov.in) पर ई-मेल द्वारा मय हार्ड कापी के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

**एमवीएससी वेटेरीनरी बैक्टिरियोलोजी/वायरोलोजी/पैथोलोजी/माईक्रोबायलॉजी**

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	एमवीएससी का विषय एवं वर्ष	वपचिअ(सामान्य) के पद पर चयनित वर्ष	पशु चिकि. अधिकारी के पद पर चयन वर्ष एवं मेरिट संख्या

  
(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)  
निदेशक